(वाद सं0–2246/4/5/2021–PCD)

30.07.2021

प्रसंगाधीन मामला, भागलपुर जिलान्तर्गत बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ले में दिनांक–30.03.2021 को देर शाम पुलिस हिरासत में एक सिंचाईकर्मी संजय कुमार अकेला उर्फ संजय यादव की मृत्यु से संबंधित है।

उक्त के संबंध में स्वतः संज्ञानोपरान्त राज्य आयोग द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर तथा वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर से विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग की गयी साथ ही साथ मृतक संजय कुमार अकेला उर्फ संजय यादव के आर्थिक स्थिति के संबंध में जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

उक्त के अनुपालन में जिला पदाधिकारी, भागलपुर व वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के प्रतिवेदनानुसार राज्य अयोग के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक, नगर, भागलपुर से संयुक्त जांच करायी गयी। उक्त द्विसदस्यीय जांच दल के जांच प्रतिवेदन को जिलाधिकारी, भागलपुर तथा वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर द्वारा संयुक्त रूप से प्रसंगाधीन उक्त प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित कर प्रेषित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर व वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के संयुक्त प्रतिवेदनानुसार दिनांक–29.03.2021 को अपराह्न–05:30 बजे बिसहरी स्थान (बरारी थानान्तर्गत) में पासवान जाति व यादव जाति के बीच विवाद की जानकारी प्राप्त होने पर बरारी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों द्वारा स्थल पर जाकर उभय पक्ष को समझाया–बुझाया गया। उभय पक्ष के बीच घटित घटना के आलोक में एक शीष पासवान के लिखित आवेदन के आधार पर 06 नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध कोतवाली (बरारी) थाना कांड संख्या–224/21, दिनांक–29.03.2021 संस्थित किया गया तथा मामले को पुलिसकर्मियों द्वारा शांत करा दिया गया। उसी दिन अपराह्न 09:20 बजे बरारी थाना

के थानाध्यक्ष को सूचना मिली की पूर्व में घटित घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों समुदायों का जमावड़ा हो रहा है तथा विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है। सूचना मिलने पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के साथ पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुँचे। घटना स्थल पर यह पाया गया कि मृतक, संजय कुमार अकेला उर्फ संजय यादव, द्वारा तीव्र आवाज में अश्लील गाना डीजे पर बजाया जा रहा था जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे लेकिन स्व0 संजय कुमार अकेला उर्फ संजय यादव डीजे बजाना जारी रखे हुए थे। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के समक्ष डीजे व साउंड बॉक्स को विधिनुसार जप्ती सूचि बनाकर जब्त किया गया तथा डीजे बजाने वाले, संजय कुमार अकेला उर्फ संजय यादव, को थाना पर ले आया गया। उसके पीछे–पीछे संजय यादव के परिजन भी थाना पर आ गये। थाना पर पहुँचने के क्रम में संजय कुमार अकेला उर्फ संजय यादव को काफी अधिक पसीना चलने लगा तथा उन्होनें सीने में दर्द की शिकायत की। इस शिकायत पर तत्काल उन्हें सरकारी वाहन से ईलाज के लिये जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर ले जाया गया, जहाँ ईलाज के दौरान ही संजय कुमार अकेला उर्फ संजय यादव की दुःखद मृत्यु हो गयी। इस मृत्यु के आलोक में बरारी थाना द्वारा यू0डी0 केस दर्ज कर शव का अन्त्य परीक्षण कराने के पश्चात् शव को मृतक के परिजन को दाह संस्कार हेतु सुपुर्द कर दिया गया। मृतक संजय कुमार अकेला उर्फ संजय यादव के शव के अन्त्य परीक्षण में चिकित्सक द्वारा मृत्यु का कारण 'Death was natural due to disease of heart and circulatory system' बताया गया। जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, में मृतक का चिकित्सा कर रहे चिकित्सक मो0 सरफराज द्वारा बताया गया कि मृतक संजय कुमार अकेला उर्फ संजय यादव, पूर्व से ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित थे और बीच में दवा लेना उन्होनें छोड़ दिया था। चिकित्सा महाविद्यालय की सीसी0टी0भी0 फुटेज से भी प्रतीत होता है कि मृतक की मृत्यु तबियत खराब होने के कारण हुयी थी। जिला पदाधिकारी, भागलपुर व वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के संयुक्त प्रतिवेदनानुसार मृतक संजय कुमार अकेला उर्फ संजय यादव की पिटाई पुलिस द्वारा पुलिस थाना में नहीं

की गयी और उनकी मृत्यु हृदय रोग के कारण स्वाभाविक मृत्यु है। मृतक, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। उनका मासिक वेतन–25,079/– रुपया प्रतिमाह था। वे अपने पीछे अपनी पत्नी एवं पुत्र तथा पुत्रियों को छोड़ गये।

उपरोक्त संयुक्त प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर के द्वारा मृतक के शव का किये गये अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि त्रिसदस्यीय चिकित्सीय टीम द्वारा मृतक के शरीर, हथेली, तलवा पर किसी भी तरह का कोई जख्म नहीं पाया गया है तथा चिकित्सक द्वारा death का कारण 'Death was Natural due to disease of heart and circulatory system' बताया गया है।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर व वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ संबंधित चिकित्सक के बयान व थाना के फुटेज की सी0डी0 भी संलग्न कर भेजी गयी है जो संचिका के साथ संलग्न है।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर व वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि संबंधित प्राधिकार द्वारा पुलिस कार्रवाई के दौरान मृत्यु होने के संबंध में NHRC के Guidelines का अनुपालन नहीं किया गया है। NHRC Guidelines के अनुसार प्रसंगाधीन मामले में Magisterial Enquiry करायी जानी चाहिए थी, जो संबंधित प्राधिकार द्वारा नहीं करायी गयी है।

संबंधित प्राधिकार से अनुरोध है कि भविष्य में ऐसे मामलों में NHRC के Guidelines का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चत किया जाय।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में राज्य आयोग प्रसंगाधीन मामले को स्वाभाविक/प्राकृतिक मृत्यु का मामला पाता है तथा पोस्टमार्टम रिर्पोट से यह प्रतीत होता है कि मृतक संजय कुमार अकेला उर्फ संजय यादव के शरीर के किसी भी हिस्से में कोई वाह्य जख्म नहीं पाया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को स्वाभाविक/प्राकृतिक मामला मानकर राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामला को संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के संबंध में NHRC Guidelines की प्रति (पांच पृष्ठ) संलग्न कर जिला पदाधिकारी, भागलपुर व वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर को सूचित करते हुए आदेश की एक प्रति मृतक संजय कुमार अकेला उर्फ संजय यादव पुत्र स्व0 देवेन्द्र प्रसाद यादव, साकिन– मायागंज, पो0+थाना– बरारी, जिला– भागलपुर को भी सूचनार्थ उपलब्ध करा दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक